

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था. (विधान सभा)-12-04/2011 ----- / राँची, दिनांक :----- /

कार्यालय आदेश

तृतीय झारखण्ड विधान सभा, का विशेष मानसून सत्र दिनांक 13.12.2013 से 20.12.2013 तक आहूत की गई है। उक्त सत्र के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिदिन उपस्थिति के निमित्त कार्य दिवस में तिथिवार भाग लेने हेतु निम्नलिखित सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/वर्तमान पदस्थापन/ मोबाईल नम्बर	झारखण्ड विधान सभा में प्रतिनियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई राँची 9431771526	13.12.2013	
2	श्री आनन्द कुमार सहायक अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई राँची 9431790909	13.12.2013	
3	श्री अरुण कुमार सहायक अभियंता नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल राँची 9470189851	16.12.2013	
4	श्री विजय शंकर सहायक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची 9431183160	16.12.2013	
5	श्री श्रीकान्त शरण सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची 9431176912	17.12.2013	
6	श्री काशीनाथ मोदी प्राक्कलन पदाधिकारी, जलपथ अंचल, राँची 9431155563	17.12.2013	
7	श्री विश्वनाथ प्रसाद तांती सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची 9431177416	18.12.2013	
8	श्री हेमन्त कुमार भक्त सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची 9431582984	18.12.2013	
9	श्री जयप्रकाश लाल सहायक अभियंता(यौ.), लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची	19.12.2013	

1	2	3	4
10	श्री उमाशंकर राम सहायक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची 9431310821	19.12.2013	
11	श्री विजय कुमार चौधरी सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल, सिंचाई राँची 8603751677	20.12.2013	
12	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची	20.12.2013	

2. संबंधित सहायक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि सदन में उठाये जाने वाले विषयों के संबंध में अपनी चर्चा टिप्पणी प्रतिदिन विभागीय सचिव/ विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) को उसी दिन 5.00 बजे अपराह्न में उपलब्ध करायेगें ताकि विधान सभा सत्र के दौरान उठाये जाने वाले मामले पर समुचित कार्रवाई की जा सके।
3. विधान सभा परिसर/ पदाधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्रक प्रतिनियुक्ति की तिथि के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे संबंधित पदाधिकारी विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) से प्राप्त कर लेंगे।
4. संबंधित सहायक अभियंता, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहेंगे एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।
5. मोबाईल न.
 - (i) संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची।
9334344512
 - (ii) अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची। 9835170686

ह. / -

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 7465

राँची, दिनांक :- 11-12-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, प्रशाखा-06, प्रभारी (विधान सभा कोषांग)/ बेव इंफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)